अनुदान संख्या 99 – लक्षद्वीप
GRANT No. 99–LAKSHADWEEP

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	220,60,00	234,09,00	237,67,58	+3,58,58
पूरक	Supplementary	13,49,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	52,35,00	52,36,00	52,08,13	–27,87
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				21,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, यद्यपि अगस्त, 2005 और मार्च, 2006 में 1349.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया था, व्यय स्वीकृत प्रावधान से 358.58 लाख रु. अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय 358,58,028 रु. था)। **इस अधिक व्यय को संसद से अनुदान की अतिरिक्त मांगें स्वीकृत करवाकर विनियमित कराए जाने की आवश्यकता है।**

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुआ/हुईं:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, although supplementary grant of Rs.1349.00 lakhs was obtained in August, 2005 and March, 2006, the expenditure exceeded the sanctioned provision by Rs.358.58 lakhs (actual excess was Rs.358,58,028). **The excess requires regularisation by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

Excess/savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
क - गृह मंत्रालय	**A – Ministry of Home Affairs**				
मुख्य शीर्ष "2012" राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	Major Head "2012" President/Vice-President/ Governor/Administrator of Union Territories				
मू.	O.	18.00	22.00	19.40	–2.60
पू.	S.	9.00			
पु.	R.	–5.00			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "2245" प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	Major Head "2245" Relief on Account of Natural Calamities					
मू.	O.	3.00				
पू.	S.	127.00		67.68	71.30	+3.62
पु.	R.	-62.32				
घ - विद्युत मंत्रालय मुख्य शीर्ष "2801" बिजली	**D – Ministry of Power** Major Head "2801" Power					
मू.	O.	2998.00				
पू.	S.	83.00		3131.78	3524.29	+392.51
पु.	R.	50.78				
झ - माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	**I - Department of Secondary Education and Higher Education** Major Head "2202" General Education					
मू.	O.	1933.00				
पू.	S.	180.00		2248.35	2276.68	+28.33
पु.	R.	135.35				
ध - जहाजरानी मंत्रालय मुख्य शीर्ष "3051" पत्तन तथा प्रकाश स्तंभ	**S – Ministry of Shipping** Major Head "3051" Ports and Light Houses					
मू.	O.	792.00		984.87	987.48	+2.61
पु.	R.	192.87				
मुख्य शीर्ष "3052" जहाजरानी	Major Head "3052" Shipping					
मू.	O.	6365.00				
पू.	S.	607.00		6903.78	6903.48	–0.30
पु.	R.	–68.22				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3056'' अंतर्देशीय जल परिवहन	Major Head "3056" Inland Water Transport				
मू.	O.	429.00			
पू.	S.	28.00	413.75	422.99	+9.24
पु.	R.	–43.25			
फ - शहरी विकास मंत्रालय	**V – Ministry of Urban Development**				
मुख्य शीर्ष "2058'' लेखन सामग्री तथा मुद्रण	Major Head "2058" Stationery and Printing				
मू.	O.	305.00			
पू.	S.	24.00	275.03	273.73	–1.30
पु.	R.	–53.97			
मुख्य शीर्ष "2059'' लोक निर्माण कार्य	Major Head "2059" Public Works				
मू.	O.	1311.00			
पू.	S.	19.00	1301.03	1223.55	–77.48
पु.	R.	–28.97			

(I) मुख्य शीर्ष "2801'' - "डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - लक्षद्वीप में विद्युत की आपूर्ति - विद्युत संयंत्र और अनुषंगी निर्माण कार्य'' के अंतर्गत 448.72 लाख रु. का अधिक व्यय (83.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 3045.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक के माध्यम से भारतीय तेल निगम से तेल की अधिप्राप्ति किए जाने पर दावों का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

(I) Under Major Head "2801" – "Diesel/Gas Power Generation – Supply of Electricity in Lakshadweep – Power Plant and Ancillary Works" – excess of Rs.448.72 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.3045.00 lakhs including supplementary grant of Rs.83.00 lakhs) was due to settlement of claims on account of procurement of oil from Indian Oil Corporation through Director General of Supplies and Disposals.

(II) मुख्य शीर्ष "2202'' - "विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - सरकारी कालेज और संस्थान - कनिष्ठ कालेज' के अंतर्गत 100.96 लाख रु. का अधिक व्यय (3.60 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कावारत्ती, एंड्राइट और काडमट

(II) Under Major Head "2202" - "University and Higher Education - Government Colleges and Institutes - Junior Colleges" - excess of Rs.100.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3.60 lakhs) was due to establishment of Calicut

में कालीकट विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्रों की स्थापना किए जाने के कारण हुआ।

(III) मुख्य शीर्ष "3051' - "लघु पत्तन - अन्य व्यय - बंदरगाह सुविधाएं'' के अंतर्गत 183.77 लाख रु. का अधिक व्यय (705.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जलमार्गों को गहरा किए जाने की वजह से लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्यों के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 65.97 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 34 प्रतिशत था।

2. उपर्युक्त अधिक व्यय नीचे दिए अनुसार बचतों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया:-

(I) 34.47 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2058'' - "सरकारी मुद्रणालय - मुख्यालय और इकाई मुद्रणालय'' के अंतर्गत 305.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 24.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 329.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 55.27 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) प्रशासनिक कारणों से निवेदित दरों को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से मशीनरी की कुछ मदों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2012'' - "संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल/ प्रशासक - विवेकाधीन अनुदान - लक्षद्वीप'' - 11.49 लाख रु. के मूल प्रावधान को 9.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 20.49 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, प्रशासक के कुछ सरकारी दौरों को स्थगित किए जाने के कारण 6.73 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2245'' - "सूखा - नि:शुल्क राहत - नकद राशि का दान'' - 3.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 127.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 130.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, मंत्रालय द्वारा राहत की कम

University Study Centres at Kavaratti, Androit and Kadmat.

(III) Under Major Head "3051" – "Minor Ports– Other Expenditure – Harbour facilities" – excess of Rs.183.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.705.00 lakhs) was due to additional requirement of funds for Lakshadweep Harbour Works owing to deepening of the channels.

(IV) Under one head excess of Rs.65.97 lakhs occurred constituting 34 percent of the sanctioned provision.

2. The above excess was partly offset by savings as under:-

(I) Provision of Rs.34.47 lakhs remained wholly unutilised under three heads.

(II) Under Major Head "2058" - "Government Presses - Headquarters and Unit Press" - the original provision of Rs.305.00 lakhs was augmented to Rs.329.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.24.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.55.27 lakhs (including supplementary grant) due to non-procurement of certain machinery items owing to non-finalisation of quotations on account of administrative reasons.

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2012" - "Governor/ Administrator of Union Territories - Discretionary Grants - Lakshadweep" - the original provision of Rs.11.49 lakhs was augmented to Rs.20.49 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.9.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.6.73 lakhs - due to postponement of certain official tour of Administrator.

(B) Major Head "2245" - "Drought - Gratutious Relief - Cash Doles" - the original provision of Rs.3.00 lakhs was augmented to Rs.130.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.127.00 lakhs which, however, remained

राशि का अनुमोदन किए जाने के कारण 58.70 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष "3052" - "समुद्रपार जहाजरानी - जहाजरानी सेवा - भारतीय जहाजरानी निगम" - 6365.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 607.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 6972.49 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, भारतीय जहाजरानी निगम से बिलों की प्राप्ति न होने के कारण 68.52 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(घा) मुख्य शीर्ष "3056" - "निदेशन और प्रशासन - प्रबंधन" - 149.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 28.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 177.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 11.66 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(ङ) मुख्य शीर्ष "2059" - "सामान्य - निदेशन और प्रशासन - कार्यकारी स्थापना" - 235.80 लाख रु. के मूल प्रावधान को 19.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 254.80 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 5.92 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें आश्वासित कैरियर प्रोन्नति प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 93.22 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान से 10 प्रतिशत अधिक थी।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, तीन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 351.04 लाख रु. के अधिक व्यय की तुलना में दस मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 378.91 लाख रु. की बचतें हुईं और इस प्रकार 27.87 लाख रु. की कुल बचतें हुईं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

unutilised to the extent of Rs.58.70 lakhs -due to less amount of relief approved by the Ministry.

(C) Major Head "3052" – "Overseas Shipping– Shipping Service – Shipping Corporation of India"– the original provision of Rs.6365.00 lakhs was augmented to Rs.6972.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.607.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.68.52 lakhs due to non-receipt of bills from Shipping Corporation of India.

(D) Major Head "3056" - "Direction and Administration - Management" - the original provision of Rs.149.00 lakhs was augmented to Rs.177.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.28.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.11.66 lakhs; and

(E) Major Head "2059" – "General - Direction and Administration - Executive Establishment" - the original provision of Rs. 235.80 lakhs was augmented to Rs.254.80 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.19.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.5.92 lakhs.

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of Assured Career Progression proposals.

(IV) Under one head saving of Rs.93.22 lakhs occurred constituting more than 10 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings of Rs.378.91 lakhs occurred under ten major heads against excess of Rs.351.04 lakhs under three major heads resulting in overall savings of Rs.27.87 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
घ - विद्युत मंत्रालय	**D–Ministry of Power**				
मुख्य शीर्ष ''4801''	Major Head "4801"				
बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	821.00	990.00	989.98	–0.02
पु.	R.	169.00			
ध - जहाजरानी मंत्रालय	**S–Ministry of Shipping**				
मुख्य शीर्ष ''5052''	Major Head "5052"				
जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Shipping				
मू.	O.	2300.00	2404.47	2404.47	. .
पु.	R.	104.47			
म - अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय	**Y–Ministry of Non-Conventional Energy Sources**				
मुख्य शीर्ष ''4810''	Major Head "4810"				
अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Non-Conventional Sources of Energy				
मू.	O.	300.00	110.00	110.02	+0.02
पु.	R.	–190.00			

(I) मुख्य शीर्ष ''4810'' - ''सौर - फोटोवोल्टेइक'' के अंतर्गत 189.98 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सभी द्वीपों में सौर फोटोवोल्टीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. से फोटोवोल्टेइक सौर पैनलों की अपेक्षित मात्रा प्राप्त न होने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4810" - "Solar - Photovoltaic" - saving of Rs.189.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-receipt of required quantity of photovoltaic solar panels from Bharat Heavy Electricals Ltd. for installation of SPV power plant in all islands.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 64.94 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 43 प्रतिशत थी।

(II) Under one head saving of Rs.64.94 lakhs occurred constituting 43 percent of the sanctioned provision.

4. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) मुख्य शीर्ष "4801" - "डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - अन्य व्यय - विद्युत गृह" - 168.98 लाख रु. का अधिक व्यय (821.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के आधार पर डीजल/गैस विद्युत उत्पादन प्रणालियों में वृद्धि किए जाने के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष "5052" - "तटीय जहाजरानी - टनभारों का अधिग्रहण और विस्तार - पोतों का निर्माण" - 104.47 लाख रु. का अधिक व्यय (2300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विशाखापत्तनम में यात्री पोत के निर्माण के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 61.78 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 62 प्रतिशत था।

4. The above savings were offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "4801" – "Diesel/Gas Power Generation - Other Expenditure - Power House" – excess of Rs.168.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.821.00 lakhs) was due to augmentation of Diesel/Gas Power Generation Systems based on Memorandum of Understanding signed with National Thermal Power Corporation.

(II) Major Head "5052" - "Coastal Shipping - Acquisition and Expansion of Tonnage - Construction of Ships" - excess of Rs.104.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2300.00 lakhs) was due to more requirement of funds for construction of passenger ship at Vishakapatnam.

(III) Under one head excess of Rs.61.78 lakhs occurred constituting 62 percent of the sanctioned provision.